

निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर, जयपुर ग्रामीण
प्रकरण संख्या 249/2024 (राजस्व अपील)

1. बालूराम पुत्र श्री कल्याण जाति बागडा ब्राह्मण निवासी नन्दावाली ढाणी, ग्राम मंशारामपुरा,
तहसील कालवाड, जिला जयपुर ।

अपीलार्थी

बनाम

1. श्रीमती मंगली देवी शर्मा पत्नी भैरु लाल शर्मा जाति बागडा ब्राह्मण निवासी नन्दावाली
ढाणी, ग्राम मंशारामपुरा, तहसील कालवाड, जिला जयपुर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कालवाड, जिला जयपुर ।
3. उप पंजीयक तृतीय, कार्यालय पता पंचायत समिति झोटवाडा, पंखा काटा, झोटवाडा,
जयपुर ।

प्रत्यर्थागण



अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध
तहसीलदार जयपुर द्वारा राजस्व ग्राम मंशारामपुरा तहसील कालवाड के
नामान्तरकरण संख्या 787 पर पारित आदेश दिनांक 06.03.2024

उपस्थित :-

1. श्री पंकज कुमार शर्मा अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से ।
2. श्री विष्णु कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रत्यर्था संख्या 1 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 02.07.2024

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी द्वारा राजस्व ग्राम मंशारामपुरा तहसील
कालवाड के नामान्तरकरण संख्या 787 पर तहसीलदार कालवाड द्वारा पारित आदेश दिनांक
06.03.2024 से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थागण को नोटिस जारी किये गये।
प्रत्यर्था संख्या 1 की ओर से वकील श्री विष्णु कुमार शर्मा ने उपस्थित होकर वकालतनामा
पेश किया ।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. अपीलार्थी के अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि
अपीलार्थी के कब्जे काश्त शुदा आराजी वाके ग्राम मंशारामपुरा तहसील कालवाड स्थित खाता
संख्या 247 के खसरा नम्बर 430/17 रकबा 0.6300 हक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त भूमि में से
अपीलार्थी द्वारा 2466/6300 हिस्सा भूमि का बेचान प्रत्यर्था संख्या 1 श्रीमती मंगली देवी शर्मा
पत्नी भैरु लाल को दिनांक 06.03.2024 को किया गया। उक्त विक्रय पत्र का पंजीयन उप
पंजीयक कार्यालय द्वितीय के यहां दिनांक 06.03.2024 को किया गया। पंजीकृत विक्रय पत्र
के आधार पर प्रत्यर्था संख्या 2 के यहां संचालित आटो म्यूटेशन प्रक्रिया के तहत अपीलाधीन
नामान्तरकरण संख्या 787 दिनांक 06.03.2024 का विक्रय शुदा भूमि हिस्सा 2466/6300 से

३१०
जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)



ज्यादा अर्थात सम्पूर्ण भूमि का नामान्तरकरण प्रत्यर्थी संख्या 1 के हक में बिना किसी दस्तावेजी हक अधिकार के विक्रय की गई भूमि से ज्यादा भूमि का अपीलाधीन नामान्तरकरण प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में तस्दीक कर दिया जो प्रारम्भ से ही निरस्तनीय है। तहसीलदार कालवाड द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 को हस्तान्तरण किये गये हिस्से से ज्यादा भूमि का नामान्तरकरण ओटो म्यूटेशन प्रक्रिया के तहत दर्ज कर दिया गया। जबकि उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने से पूर्व अपीलान्त को किसी प्रकार का कोई नोटिस दिये बिना साक्ष्य समर्थन व सुनवाई का कोई अवसर दिये बिना उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण तस्दीक करने में अहम कानूनी भूल की है। अपीलार्थी को प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में तस्दीक किये गये नामान्तरकरण की पूर्व में जानकारी नहीं थी। दिनांक 28.05.2024 को प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा बेचान से अधिक भूमि का अपीलाधीन नामान्तरकरण के आधार पर भूमि के बेचने की धमकी अपीलार्थी को दी तो अपीलार्थी द्वारा जमाबन्दी एवं अपीलाधीन नामान्तरकरण की प्रति प्राप्त करने पर जानकारी हुई। विलम्ब के लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। विलम्ब अवधि को कन्डोन किया जाकर अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण को निरस्त किया जावे तथा अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी संख्या एक को किये गये विक्रय पत्र दिनांक 06.03.2024 के आधार पर विक्रय शुदा भूमि का ही नामान्तरकरण प्रत्यर्थी संख्या 1 के हक में तस्दीक किये जाने के आदेश फरमावे। शेष हिस्सा भूमि अपीलार्थी के नाम यथावत रखी जावे।

5. प्रत्यर्थी संख्या 1 के अधिवक्ता ने भी अपीलार्थी अधिवक्ता के तर्कों का समर्थन करते हुये विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण तस्दीक किये जान का समर्थन किया।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता द्वारा की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली का बलीमाति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

7. सर्वप्रथम हम अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करना चाहेंगे। यद्यपि अपीलार्थी की ओर से अपील विलम्ब से पेश की गई है, किन्तु न्यायहित में विलम्ब अवधि को कन्डोन किया जाता है। प्रकरण का मैरिट पर निस्तारण किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा अपील के समर्थन में प्रस्तुत विक्रय पत्र दिनांक 06.03.2024 की फोटो प्रति के अवलोकन से यह पाया गया है कि अपीलार्थी बालूराम पुत्र श्री कल्याण के स्वामित्व की खातेदारी भूमि स्थित ग्राम मंशारामपुरा तहसील कालवाड के खाता संख्या 247 आराजी खसरा नम्बर 430/17 में रकबा 0.6300 हेक्टेयर हिस्सा है जिसमें से अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 श्रीमती मंगली देवी पत्नी श्री भैरूलाल को 2466/6300 हिस्से का बेचान किया गया है। जबकि अपीलाधीन नामान्तरकरण सम्पूर्ण हिस्से 0.6300 हेक्टेयर का प्रत्यर्थी श्रीमती मंगली देवी के हक में तस्दीक कर दिया गया है जो गलत है। इससे अपीलार्थी अधिवक्ता के कथन की पुष्टि होती है। प्रत्यर्थी संख्या 1 के अधिवक्ता भी अपीलार्थी अधिवक्ता के कथन से सहमत है। फलस्वरूप अपील स्वीकार की जाती है।

9. तहसीलदार कालवाड द्वारा राजस्व ग्राम मंशारामपुरा तहसील कालवाड के अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 787 पर पारित आदेश दिनांक 06.03.2004 को अपास्त किया जाता है। तहसीलदार कालवाड को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी बालूराम पुत्र कल्याण द्वारा


५४०
जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

दिनांक 06.03.2024 को प्रत्यर्था संख्या 1 श्रीमती मंगली देवी पत्नी श्री भैरूलाल के पक्ष में किये गये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 06.03.2024 के अनुसार नये सिरे से नामान्तरकरण तस्दीक किया जाना सुनिश्चित करे।

10. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा तहसीलदार कालवाड को प्रेषित हो । पत्रावली शुमार फैसल होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

11. निर्णय आज दिनांक 02.07.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।




(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलेक्टर
ज्योती (ग्रामीण)